BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 712 OF 2023
(I.A. No. 838/2023, I.A. No. 839/2023 and 202/2024)

NOTARY PRERNA TYAGI NOTARY MUZAFFARNAGAR Reg. No. 7696 NOTARIAL GOVT. OF INDIA

IN THE MATTER OF:

Farman Qurashi ...... Applicant

Versus

Ministry of Environment, ...Respondents

Forest and Climate Change and Ors.

RESPONSE ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO.-4, UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 22.11.2024 PASSED BY HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.

I, Ankit Singh, aged about 38 years, S/o Sri Ajit Singh, presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as UPPCB), Muzaffarnagar do hereby solemnly affirm and state on oath as under:-

PRERNA TYAGI
NOTARY
MUZAFFARNAGAR

12 MAR 2025

1. That the Deponent is duly authorized and competent to swear this affidavit on behalf of the Respondent No 4 in compliance to the order dated 22.11.2024 passed by this Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi Tribunal (hereinafter referred to as "Hon'ble Tribunal"). NOTARY

2. That it is submitted that in the present matter the issue involved is regarding the flouting of Regulations by the slaughter house running in the name and style of M/s Meem Agro Foods Pvt. Ltd., situated at Khasra No. 993-1005, Kandhla Road, Kairana, District Shamli. NOTARY

3. That on the previous occasion, Hon'ble Tribunal was pleased to pass an order dated 22.11.2024, the operative portion of which is reproduced hereunder: NOTARY

"....

3. Learned Counsel for the Applicant has also informed that a show cause notice dated 27.08.2024 has been issued by the UPPCB to Respondent No. 10 and action has been initiated against him. Hence, the UPPCB is directed to file the report disclosing the progress of the action initiated against Respondent No. 10." NOTARY

NOTARY ★ PRERNA TYAGI NOTARY MUZAFFARNAGAR Reg. No 7866 ★ GOVT. OF INDIA

4. That pursuant to above direction of this Hon'ble Tribunal, following inspections and necessary action were undertaken:

A) That the officials of UPPCB conducted an inspection on 18.05.2024 and it was found that the unit in question is violating the norms concerning effluent discharge in to the river. A Copy of Inspection Report dated 18.05.2024 is annexed herewith as **Annexure R4/1.** NOTARY

B) A Joint Committee was constituted by Head Office, UPPCB, Lucknow vide letter dated 15.05.2024 and pursuant to that a joint inspection was conducted of the unit on 25.06.2024. Further it is stated

PRERNA TYAGI NOTARY MUZAFFARNAGAR 12 MAR 2025

that after the analysis of the samples of treated effluent which was collected during both the inspections mentioned above, it was found that the unit has discharged the effluents against the prescribed norms. A Copy of Joint Inspection Report dated 25.06.2024 is annexed herewith as **Annexure R4/2.**

C) Further on the recommendations dated 12.07.2024 made by the joint committee and the recommendations made by UPPCB, Muzaffarnagar dated 11.06.2024 based upon the above said inspections, a Show Cause Notice dated 27.08.2024 has been served upon the defaulting unit in question. A copy of Show Cause Notice dated 27.08.2024 is annexed herewith as **AnnexureR4/3.**

D) The industry has been in the violative category for a total of **40 days** between **18.05.2024 to 27.06.2024** and a total of **40 days** from **18.11.2024 to 27.12.2024**. Hence, the total violative days are calculated as **80 days**. The industry informed in its reply dated **28.09.2024** that the industry was not operated for a total of 15 days from 10.06.2024 to 24.06.2024 due to Eid festival, non-availability of raw material and labour going on leave, in respect of which the details of antemortem and postmortem have been provided by the industry . It is not appropriate to include these 15 days. Hence the total number of violating days is calculated as 65 days. The details of antemortem and postmortem in respect of total 15 days (from 10.06.2024 to 24.06.2024) provided by the industry is annexed herewith as **Annexure R4/4**.

E) In reference to the violations abovementioned, Regional Office, UPPCB, Muzaffarnagar has recommended for imposition of environmental compensation of Rs. 19,50,000/- and has been sent to H.O., UPPCB, Lucknow. Further, UPPCB, H.O. Lucknow had imposed Environmental Compensation along with revocation of show cause notice, which is annexed as **Annexure R4/5.**

NOTARY PRERNA TYAGI NOTARY MUZAFFARNAGAR Reg. No. 7866 GOVT. OF INDIA

PRERNA TYAGI NOTARY MUZAFFARNAGAR

12 MAR 2025

5. That the Annexure annexed to the present accompanying Affidavit are true copy of their respective originals. NOTARY

6. That the present Action Taken Report on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is being submitted in shape of an Affidavit before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration. NOTARY

NOTARY

DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at Muzaffarnagar on this the 12th day of March, 2025 that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge based on records and information received and believed to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom. NOTARY

DEPONENT

NOTARY PRERNA TYAGI NOTARY MUZAFFARNAGAR Reg. No 7866 GOVT. OF INDIA

Sworn before me by the Deponent .... who is/are identified by Shri........ I have satisfied my self by examining the deponent who understand the contents of the affidavit which has been read out and explained by me to the deponent Fee Charged Rs........ NOTARY DISTT MUZAFFARNAGAR

Identified by

PRERNA TYAGI
NOTARY
MUZAFFARNAGAR

12 MAR 2025

Email : romuzaffarnagar@uppcb.in

दूरभाष : 0131–2436493

Annexure R4/1

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

6–बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर–251001 (उ०प्र०)

संदर्भ सं० / Ref. No. 290/C/M-57/Shamli/2024

दिनांक / Dated 11-6-2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3)
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

विषयः– **उद्योग मै० मीम एग्रो फूड्स प्रा०लि०, कांधला रोड, कैराना, जिला शामली के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के प्राविधानों के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि उद्योग मै० मीम एग्रो फूड्स प्रा०लि०, कांधला रोड, कैराना, जिला शामली का औचक निरीक्षण दिनांक 18.05.2024 को कराया गया। निरीक्षण आख्या संलग्न है। निरीक्षण के दौरान उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र संचालित के इनलेट, एरेशन टैंक एवं फाइनल आउटलेट से उत्प्रवाह के नमूने एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला में जमा कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्या के अनुसार उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के अन्तिम निस्तारण बिन्दु से एकत्रित जल नमूने में प्रदूषित प्रचालक BOD=44 mg/l, COD=328 mg/l पायी गयी है, जो बोर्ड मानकों से अधिक है, जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन सुचारू रूप से नहीं किया जा रहा है तथा अशुद्धिकृत उत्प्रवाह का निस्तारण मानकों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। उद्योग द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन करते हुए उद्योग का संचालन किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत् उद्योग मै० मीम एग्रो फूड्स प्रा०लि०, कांधला रोड, कैराना, जिला शामली के विरूद्ध निरीक्षण दिनांक 18.05.2024 से, जब तक कि समस्या का समाधान न हो जाये, तब तक की अवधि हेतु रूपये 30,000/– प्रतिदिन पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

11.6

(अंकित सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

उद्योग मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला शामली की औचक निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक उद्योग मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला शामली का औचक निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 18.05.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि के रूप में मौ0 तनवीर, मैनेजर उपस्थित रहे। निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया। निरीक्षण के दौरान निम्न तथ्य पाये गये :–

1– मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला शामली एक इन्टीग्रेटेड पशुवधशाला है, जिसे राज्य बोर्ड द्वारा प्रतिदिन 600 बड़े पशुओं (महिषवंशी) के पशुवध हेतु सहमति जल एवं वायु निर्गत है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2028 तक है।

2– उद्योग में स्लाटरिंग, फ्लोर वॉशिंग तथा रैण्डरिंग प्लांट से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है, जिसकी प्रमुख इकाईयां स्क्रीन चैम्बर, ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रैप, इक्वालाईजेशन टैंक, डिजोल्व्ड एयर फ्लोटेशन, सीक्वेंशियल बायो–रिएक्टर, मल्टीग्रेड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर तथा स्लज ड्राइंग बैड्स आदि हैं। निरीक्षण के समय उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र संचालित पाया गया तथा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के इनलेट, एरेशन टैंक एवं फाइनल आउटलेट से उत्प्रवाह के नमूने एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला में जमा कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्या के अनुसार उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के अन्तिम निस्तारण बिन्दु से एकत्रित जल नमूने में प्रदूषित प्रचालक BOD=44 mg/l, COD=328 mg/l पायी गयी है, जो बोर्ड मानकों से अधिक है। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् हैं :–

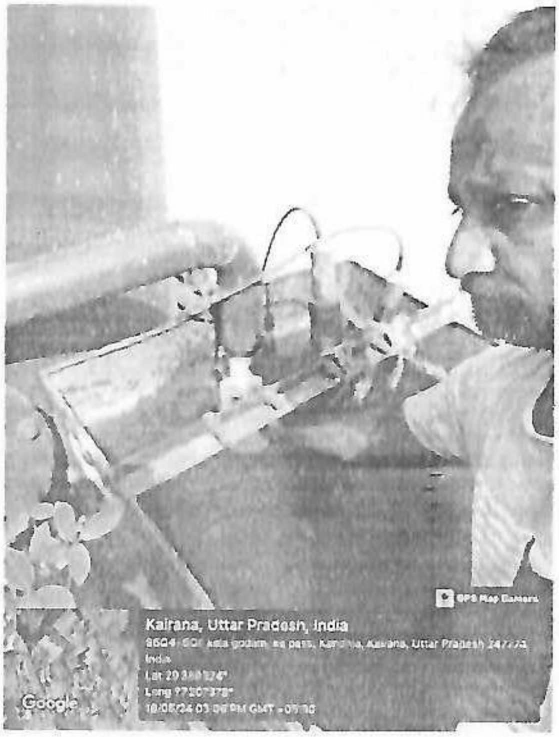

(APP) क्रमशः ....2......

3– उद्योग में पशुवध से जनित ब्लड के निस्तारण हेतु ब्लड कोगुलेटर स्थापित है, जो निरीक्षण के समय संचालित पाया गया।

4– उद्योग में स्लाटरिंग प्रक्रिया से जनित निष्प्रयोज्य चर्बी, हड्डी एवं माँस इत्यादि के निस्तारण हेतु रैण्डरिंग प्लांट स्थापित है, जो निरीक्षण के समय संचालित पाया गया।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन सुचारू रूप से नहीं किया जा रहा है तथा अशुद्धिकृत उत्प्रवाह का निस्तारण मानकों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। उद्योग द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन करते हुए उद्योग का संचालन किया जा रहा है। ऐसी दशा में उद्योग के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निरूपित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित है। उद्योग लाल श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित है तथा वृहद् श्रेणी का है। अतः उद्योग के विरूद्ध रूपये 30,000/– प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आगणित होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत् उद्योग मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला शामली के विरूद्ध निरीक्षण दिनांक 18.05.2024 से, जब तक कि समस्या का समाधान न हो जाये, तब तक की अवधि हेतु रूपये 30,000/– प्रतिदिन पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की जाती है।

उपरोक्तानुसार आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(दिवाकर देव गहलौत)
जे0आर0एफ0

(इमरान अली)
सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure-R4/2

क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़
REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 975/06-145/2024 दिनांक 12.07.2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्रशासन)
उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः मा0 अध्यक्ष महोदय, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के कार्यालय आदेश संख्या–31/अध्यक्ष कैम्प/2024, दिनांक 15.05.2024 के माध्यम से गठित समिति की आख्या।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अध्यक्ष महोदय, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ के कार्यालय आदेश संख्या–31/अध्यक्ष कैम्प/2024, दिनांक 15.05.2024 के माध्यम से गठित समिति का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि समिति के सदस्यों द्वारा मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0 लि0, कंधला रोड, कैराना, जनपद शामली का निरीक्षण दिनांक 25.06.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्या पत्र के साथ संलग्नकर आपके अवलोकनार्थ एवं सुलभ सन्दर्भ हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय

(राधेश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :– निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष महोदय, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

12/7/24
क्षेत्रीय अधिकारी

अध्यक्ष महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के कार्यालय आदेश संख्या–31/अध्यक्ष कैम्प/2024 दिनांक 15.05.2024 के माध्यम से गठित समिति द्वारा मैसर्स मीम एग्रो फूड्स प्रा0 लि0, कांधला रोड, कैराना जनपद–शामली की निरीक्षण आख्या।

अध्यक्ष महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के कार्यालय आदेश 31/अध्यक्ष कैम्प/2024 दिनांक 15.05.2024 के माध्यम से दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा मैसर्स मीम एग्रो फूड्स प्रा0 लि0, कांधला रोड, कैराना जनपद–शामली का निरीक्षण दिनांक 25.06.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय उधोग प्रतिनिधि के रूप मे मौ0 तनवीर उपस्थित थे। निरीक्षण एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:–

1.	उद्योग का नाम एवं पता	मैसर्स मीम एग्रो फूड्स प्रा0 लि0, कांधला रोड, कैराना जनपद–शामली।
2.	निरीक्षण की तिथि	25.06.2024
3.	उधोग की प्रकृति	इन्टीग्रेटिड स्लाटर हाउस।
4.	उधोग की संचालन स्थिति	संचालित
5.	कच्चे माल	भैंस/भैंसा –600 नग/दिन
6.	उत्पादन क्षमता	फ्रोजेन मीट–72.0 एम0टी0/दिन,
7.	सह उत्पाद	एम0बी0एम0–08 टन/दिन, बोन टैलो–30.0 टन/दिन,
8.	जल सहमति स्थिति	स्वीकृत 31.12.2027
9.	वायु सहमति स्थिति	स्वीकृत 31.12.2027
10.	जल श्रोत	ट्यूबेल – 01 नग
11.	उत्प्रवाह शुद्धिकरण सयंत्र की स्थिति।	संचालित
12.	आनलाइन मानीटरिंग की स्थिति/संचालित	संचालित
13.	उत्प्रवाह का अन्तिम निस्तारण विन्दु।	निरीक्षण के समय उधोग प्रतिनिधि द्वारा शुद्धिकृत उत्प्रवाह को सिचाई हेतु प्रयोग किया जाना अवगत कराया गया, जिसके सम्बन्ध मे कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया और न ही इस सम्बन्ध मे इरिगेशन मैनेजमेन्ट प्लान प्रस्तुत नही किया गया है। उपस्थित उधोग प्रतिनिधि द्वारा उधोग से लगभग 01 कि0मी0 दूर स्थित सिचांई हेतु भूमि दिखाई गयी, जो कि निरीक्षण के समय सूखी पायी गयी, जिससे परिलक्षित होता है कि उधोग द्वारा उत्प्रवाह का प्रयोग सिचांई मे समुचित रूप से नही किया जा रहा है।
14.	जिलास्तरीय भूगर्भ जल प्राधिकरण द्वारा जल के दोहन हेतु अनुमति की स्थिति	जल दोहन हेतु जिलास्तरीय भूगर्भ जल प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में वैध है।
15.	नलकूपों पर जल मापक यंत्र स्थापना का विवरण	निरीक्षण के समय बोरवेल पर जल के मापन हेतु फ्लो मीटर स्थापित पाया गया।

Vivek

16.	वायु प्रदूषण श्रोत	ब्वायलर 06 टन/घण्टा क्षमता का ब्वायलर एवं चिमनी 30 मीटर ऊँची
17.	ईंधन मात्रा	बायोमॉश/बायोबिकेट तथा डी0जी0 सेट हेतु डीजल आवश्यकतानुसार।
18.	वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का विवरण	साइक्लोन डस्ट कलेक्टर, वेट स्कबर
19.	दुर्गन्ध नियंत्रण व्यवस्था का विवरण एवं संचालन की स्थिति।	दुर्गन्ध के नियंत्रण हेतु बायो फिल्टर स्थापित है। निरीक्षण के समय बायो फिल्टर पर जल छिड़काव समुचित रूप से होता हुआ नही पाया गया, जिससे परिलक्षित होता है कि बायोफिल्टर का संचालन समुचित रूप से नही किया जा रहा है।
20.	डी0जी0 सेट का विवरण	600 के0वी0ए0 क्षमता के 01 नग
21.	डी0जी0 सेट पर ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का विवरण	एकास्टिक एन्क्लोजर स्थापित
22.	जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का विवरण	उधोग मे विभिन्न प्रकियाओं से लगभग 264 किली0/दिन उत्प्रवाह जनित होता है, जिसके शोधन हेतु ई0टी0पी0 स्थापित है। ई0टी0पी0 मे शुद्धिकृत उत्प्रवाह के निस्तारण बिन्दु पर स्थापित फ्लोमीटर खराब पाया गया।
23.	हाउस कीपिंग की स्थिति	संतोषजनक नही पायी गयी।
24.	पशुवध से जनित सॉलिड वेस्ट/ऑफेल्स एवं हड्डियों के निस्तारण एवं शोधन का विवरण	रेण्डरिंग प्लाण्ट स्थापित है, जो संचालन अवस्था मे पाया गया। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि कच्चे माल की उपलब्धता न होने के कारण संचालित न होना अवगत कराया गया।
25.	पशुवध से जनित इन्जेस्टा के निस्तारण एवं शोधन का विवरण	इन्जेस्टा ड्रायर स्थापित पाया गया।
26.	ब्लड मिल के शोधन एवं निस्तारण व्यवस्था विवरण	ब्लड मिल प्लाण्ट स्थापित है, जो कि संचालित पाया गया।

Observation/Recommendations: -

1. निरीक्षण के समय उधोग की स्लाटरिंग, मीट प्रोसेसिंग, पैकिंग प्रकियाओं से जनित उत्प्रवाह के शोधन हेतु स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयत्र संचालित था तथा उत्प्रवाह शुद्धिकरण सयंत्र के आउटलेट से अन्तिम निस्तारण बिन्दु से जनित शुद्धिकृत उत्प्रवाह का नमूना एकत्रित कर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ की प्रयोगशाला में विश्लेपित कराया गया। जिसके अनुसार शुद्धिकृत उत्प्रवाह के नमूने मे प्रचालकों की मात्रा निर्धारित मानको के अनुरूप नही पायी गयी है, जिससे स्पष्ट होता है कि उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन एवं रख-रखाव उचित प्रकार से नही किया जा रहा है। उत्प्रवाह के नमूने की विश्लेषण आख्या संलग्न है।
2. उधोग मे दुर्गन्ध के नियंत्रण हेतु बायो फिल्टर स्थापित है एव निरीक्षण के समय बायो फिल्टर पर जल छिड़काव समुचित रूप से होता हुआ नही पाया गया।
3. निरीक्षण के समय उधोग प्रतिनिधि द्वारा शुद्धिकृत उत्प्रवाह को सिचांई हेतु प्रयोग किया जाना अवगत कराया गया, जिसके सम्बन्ध मे कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया और न ही इस सम्बन्ध मे इरिगेशन मैनेजमेन्ट प्लान प्रस्तुत नही किया गया है। उपस्थित उधोग

प्रतिनिधि द्वारा उधोग से लगभग 01 कि0मी0 दूर स्थित सिचांई हेतु भूमि दिखाई गयी, जो कि निरीक्षण के समय सूखी पायी गयी, जिससे परिलक्षित होता है कि उधोग द्वारा उत्प्रवाह का प्रयोग सिचांई मे समुचित रूप से नही किया जा रहा है।

4. निरीक्षण के समय उधोग मे हाऊसकीपिंग की व्यवस्था संतोषजनक नही पायी गयी।
5. उधोग से जनित हड्डियों एवं ऑफेल्स के निस्तारण हेतु ड्राई रेण्डरिंग प्लाण्ट स्थापित है। रेण्डरिंग प्लाण्ड से जनित दुर्गन्ध के नियंत्रण हेतु वेट स्कबर/बायो फिल्टर स्थापित एवं संचालित अवस्था पाया गया। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि कच्चे माल की उपलब्धता न होन के कारण संचालित न होना अवगत कराया गया।
6. उधोग मे बायलर से सम्बद्ध चिमनी से जनित उत्सर्जन मे प्रचालकों के सतत् अनुश्रवण हेतु ऑनलाइन कन्टीन्यूअस इनिशन मॉनीटरिंग सिस्टम स्थापित पाया गया।
7. निरीक्षण के समय ई0टी0पी0 की यूनिटों को प्रदर्शित किये जाने हेतु वेब कैमरा स्थापित पाया गया।
8. निरीक्षण के समय लैराज एवं पशु प्रवेश गेट पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्थापित पाया गया।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं समिति द्वारा निरीक्षण के दौरान पायी गयी आख्या मे इंगित कमियों के दृष्टिगत उधोग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय स्तर से आवश्यक निर्देश जारी किये जाने की संस्तुति की जाती है।

Vivuc
(विवेक कुमार)
सहा0पर्या0अभियंता
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
ग्रेटर नोएडा

(विभुरस मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गाजियाबाद।

(राधेश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
अलीगढ़।

REGIONAL LABORATORY ALIGARH
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
J-1, Gyan Sarovar Colony, Ramghat Road, Aligarh

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 27021971/Aligarh/2024
Date:10/07/2024

1- **Name of Industry:** MEEM AGRO FOODS PVT LTD, 993 to 1005, Kandhla Road, Kairana, Shamli ,SHAMLI,247774
2- **Address of Industry:** 993 to 1005, Kandhla Road, Kairana, Shamli ,SHAMLI,247774
3- **District:** Shamli
4- **Description about sampling point:** Inlet of E.T.P.
5- **Type of Sample (Grab/Composite/Integrated):** Grab
6- **Sample Collected By:** Vikas Mishra RO Ghaziabad & Radhey Shyam RO Aligarh
7- **Colour and Odour:** Reddish No Specific
8- **Quantity and Packing:** 2.0 Ltrs PVC
9- **Date of Sample Collection:** 25/06/2024
10- **Analyis Indented by:** RO MuzaffarNagar
11- **Date of sample receipt in Lab:** 29/06/2024

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	-	6.56	6.5 to 8.5	02-12
Suspended Solids , APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	867		10-20000 mg/l
Dissolved Solids, APHA 24th Ed. 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 °C 2023	mg/l	1611		10- 50000 mg/l
Total Solids, APHA 24th Ed.2540 B: 2023	mg/l	2478		10- 50000 mg/l
BOD, APHA 24th Ed. 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio 2023	mg/l	280	30	1.0 -50000 mg/l
COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	960	250	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules,1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark: NA

Analysed by-
[Ashu Ashwani(JRF)]

Jaipal Singh — Digitally signed by Jaipal Singh Date: 2024.07.10 14:38:37 +05'30'
Authorized by
Dr J P SINGH (ASO)

Radhey Shyam — Digitally signed by Radhey Shyam Date: 2024.07.11 11:49:54 +05'30'
Regional Officer

REGIONAL LABORATORY ALIGARH
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
J-1, Gyan Sarovar Colony, Ramghat Road, Aligarh

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 27021980/Aligarh/2024

Date: 10/07/2024

1- Name of Industry: MEEM AGRO FOODS PVT LTD, 993 to 1005, Kandhla Road, Kairana, Shamli ,SHAMLI,247774
2- Address of Industry: 993 to 1005, Kandhla Road, Kairana, Shamli ,SHAMLI,247774
3- District: Shamli
4- Description about sampling point: Final Outlet Discharge of E.T.P.
5- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
6- Sample Collected By: Vikas Mishra RO Ghaziabad & Radhey Shyam RO Aligarh
7- Colour and Odour: Colourless None
8- Quantity and Packing: 2.0 Ltrs PVC
9- Date of Sample Collection: 25/06/2024
10- Analyis Indented by: RO MuzaffarNagar
11- Date of sample receipt in Lab: 29/06/2024

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	-	7.9	6.5 to 8.5	02-12
Suspended Solids , APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	126	100	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, APHA 24th Ed. 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 °C 2023	mg/l	1180		10- 50000 mg/l
Total Solids, APHA 24th Ed.2540 B: 2023	mg/l	1306		10- 50000 mg/l
BOD, APHA 24th Ed. 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio 2023	mg/l	62	30	1.0 -50000 mg/l
COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	280	250	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules,1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark: NA

Analysed by-
[Pramod Kumar(JRF)]

Jaipal Singh Digitally signed by Jaipal Singh Date: 2024.07.10 13:53:29 +05'30'
Authorized by
Dr J P SINGH (ASO)

Radhey Shyam Digitally signed by Radhey Shyam Date: 2024.07.11 11:50:27 +05'30'
Regional Officer

REGIONAL LABORATORY ALIGARH
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
J-1, Gyan Sarovar Colony, Ramghat Road, Aligarh

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 27021991/Aligarh/2024

Date:10/07/2024

1- Name of Industry: MEEM AGRO FOODS PVT LTD, 993 to 1005, Kandhla Road, Kairana, Shamli ,SHAMLI,247774
2- Address of Industry: 993 to 1005, Kandhla Road, Kairana, Shamli ,SHAMLI,247774
3- District: Shamli
4- Description about sampling point: Upstream of drain outside of industry premises
5- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
6- Sample Collected By: Vikas Mishra RO Ghaziabad & Radhe RO Aligarh
7- Colour and Odour: Colourless None
8- Quantity and Packing: 2.0 Ltrs PVC
9- Date of Sample Collection: 25/06/2024
10- Analyis Indented by: RO MuzaffarNagar
11- Date of sample receipt in Lab: 29/06/2024

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	-	7.62	6.5 to 8.5	02-12
Suspended Solids , APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	161	100	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, APHA 24th Ed. 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 °C 2023	mg/l	607		10- 50000 mg/l
Total Solids, APHA 24th Ed.2540 B: 2023	mg/l	768		10- 50000 mg/l
BOD, APHA 24th Ed. 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio 2023	mg/l	290	30	1.0 -50000 mg/l
COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	920	250	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules,1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark: NA

Analysed by-
[Agoshe Haq(JRF)]

Jaipal Singh — Digitally signed by Jaipal Singh Date: 2024.07.10 14:28:35 +05'30'
Authorized by
Dr J P SINGH (ASO)

Radhey Shyam — Digitally signed by Radhey Shyam Date: 2024.07.11 11:51:11 +05'30'
Regional Officer

REGIONAL LABORATORY ALIGARH
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
J-1, Gyan Sarovar Colony, Ramghat Road, Aligarh

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 27021986/Aligarh/2024

Date:10/07/2024

1- **Name of Industry:** MEEM AGRO FOODS PVT LTD, 993 to 1005, Kandhla Road, Kairana, Shamli ,SHAMLI,247774
2- **Address of Industry:** 993 to 1005, Kandhla Road, Kairana, Shamli ,SHAMLI,247774
3- **District:** Shamli
4- **Description about sampling point:** Downstream of drain outside of industry premises
5- **Type of Sample (Grab/Composite/Integrated):** Grab
6- **Sample Collected By:** Vikas Mishra RO Ghaziabad & Radhey Shyam RO Aligarh
7- **Colour and Odour:** Colourless None
8- **Quantity and Packing:** 2.0 Ltrs PVC
9- **Date of Sample Collection:** 25/06/2024
10- **Analyis Indented by:** RO MuzaffarNagar
11- **Date of sample receipt in Lab:** 29/06/2024

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	-	7.59	6.5 to 8.5	02-12
Suspended Solids , APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	157	100	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, APHA 24th Ed. 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 °C 2023	mg/l	851		10- 50000 mg/l
Total Solids, APHA 24th Ed.2540 B: 2023	mg/l	1008		10- 50000 mg/l
BOD, APHA 24th Ed. 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio 2023	mg/l	285	30	1.0 -50000 mg/l
COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	880	250	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules,1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested; 2. The report shall not be reproduced except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab

Remark: NA

Analysed by-
[Agoshe Haq(JRF)]

Jaipal Singh — Digitally signed by Jaipal Singh Date: 2024.07.10 14:34:42 +05'30'
Authorized by
Dr J P SINGH (ASO)

Radhey Shyam — Digitally signed by Radhey Shyam Date: 2024.07.11 11:51:50 +05'30'
Regional Officer

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

02.9.21

पत्रं संख्याः H/6194/सी–3/जल 589/2024 दिनांक 27-8-24

सेवा में,

पंजीकृत

मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0,
कांधला रोड, कैराना,
जिला शामली।

Annexure R4/3

यह कि उद्योग मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला शामली जोकि पशुओ की स्लाटरिग हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उद्योग मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला शामली का निरीक्षण बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 15.05.2024 द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 25.06.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया तथा उद्योग में स्थापित ई0टी0पी0 के आउटलेट से एकत्रित उत्प्रवाह नमूने की प्राप्त विश्लेषण आख्या अनुसार प्रदूषित प्रचालक बी0ओ0डी0 62 मि0ग्रा0/ली0, तथा सी0ओ0डी0 280 मि0ग्रा0/ली0, पाया गया (छायाप्रति संलग्न), जोकि बोर्ड मानको से अधिक है। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन सुचारू रूप से नहीं किया जा रहा है। निरीक्षण के समय उद्योग में दुर्गन्ध के नियंत्रण हेतु स्थापित बायो फिल्टर पर जल छिडकाव समुचित रूप से होता हुआ नही पाया गया। मौके पर उद्योग द्वारा शुद्धिकृत उत्प्रवाह को सिचाई में प्रयोग किये जाने के संबंध में कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया तथा न ही इरेगेशन मैनेजमेन्ट प्लान प्रस्तुत नही किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि द्वारा उद्योग से लगभग 01 किमी दूर स्थित सिचाई हेतु भूमि दिखाई गयी जोकि सूखी पायी गयी जिससे परिलक्षित होता है कि उद्योग द्वारा उत्प्रवाह का प्रयोग सिचाई में समुचित रूप से नही किया जा रहा है। निरीक्षण के समय उद्योग में हाउसकीपिंग की व्यवस्था संतोषजनक नही पायी गयी।

अग्रेतर पूर्व में उद्योग का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 18.05.2024 को भी किया गया था। निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय उद्योग के ई0टी0पी0 के आउटलेट की प्राप्त विश्लेषण आख्या अनुसार प्रदूषित प्रचालक बी0ओ0डी0 44 मि0ग्रा0/ली0, तथा सी0ओ0डी0 328 मि0ग्रा0/ली0, पाया गया जोकि बोर्ड मानको से अधिक है जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन सुचारू रूप से नहीं किया जा रहा है तथा अशुद्धिकृत उत्प्रवाह का निस्तारण मानकों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। उद्योग द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन करते हुए उद्योग का संचालन किया जा रहा है। उद्योग को राज्य बोर्ड द्वारा वर्ष 2027 तक सहमति निर्गत है जिसकी शर्तो का उल्लंघन होता पाया गया। बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 15.05.2024 द्वारा गठित संयुक्त समिति की संस्तुतियों दिनांक 12.07.2024 एवं क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा अपने पत्र दिनाक 11.06.2024 द्वारा उद्योग मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला शामली के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा–33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस/पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अग्रेतर श्री सुमन्त ओझा, एनिमल राइट्स ऐक्टिविस्ट, दिल्ली द्वारा प्रेषित अपने ई–मेल Animal Law <lawforanimal@gmail.com> दिनांक 12.07.2024 के माध्यम से बोर्ड में शिकायती पत्र प्रेषित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)। उक्त शिकायती पत्र में उल्लिखित किया गया है कि औद्योगिक क्षेत्र जिला खुर्दा, थाना खुर्दा सदर उडीसा प्रदेश में दो अवैध मांस कन्टेनर पकडे गये है जिनमें मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0 उ0प्र0 भारत के मांस के पैकेजिंग पाये गये। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायती पत्र के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट व कन्टेनर व पैकेजिंग के फोटोग्राफ भी प्रेषित किये गये है। शिकायती पत्र के संबंध में उद्योग से प्रतिउत्तर अपेक्षित है।

अतएव जनहित एवं जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि उद्योग का संचालन रोका जाये।

अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए सपठित धारा 27(2) के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियो के अधीन उद्योग मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला शामली के विरूद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:–

1. यह कि क्यो न उद्योग मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला शामली को बोर्ड के पत्र संख्या 186534/UPPCB/Circle-3(UPPCBHO)/CTO/Both/SHAMLI/2023 दिनांक 12.07.2023 द्वारा वर्ष 2027 तक निर्गत सहमति जल को निलम्बित (Suspend) कर दिया जाए।

2. यह कि क्यो न उद्योग मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला शामली के उत्पादन/संचालन कार्य को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाए।
3. यह कि क्यो न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला शामली को मिलने वाली विजली, पानी तथा अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुक्रम में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित की गयी मैथाडोलॉजी के अनुसार उद्योग मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला शामली का PI-80,N-1,R-250,S-1.5,LF-1.0 लेते हुए निरीक्षण दिनांक 18.05.2024 से पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन मानते हुए रू0 30,000/– प्रतिदिन की दर से सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने तक उल्लंघनकारी दिवसों की अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर उक्त की वसूली की जाए।

उपरोक्त तथ्यो के परिप्रेक्ष्य में कारण बताओ नोटिस/प्राप्त शिकायत के संबंध मे पूर्ण विवरण के साथ अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। उद्योग द्वारा कारण बताओ नोटिस/प्राप्त शिकायत का उत्तर न प्रेषित करने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर उद्योग के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 33–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि तथा उल्लंघनकारी दिवसो हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाएगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वंय का होगा।

संलग्नक–यथोपरि।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

/

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–3)

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी, शामली।
2. पुलिस अधीक्षक, शामली।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शामली।
4. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, शामली।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वेस्ट मैनेजमेन्ट डिविजन उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेशो के अनुपालन के संबंध में उद्योग का उद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन में आवश्यक रुप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

Atulesh yadav

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3)

Meem Agro Foods Pvt. Ltd.
MANUFACTURER & EXPORTERS OF FROZEN BONELESS BUFFALO MEAT
APEDA APPROVED ABATTOIRS CUM MEAT PROCESSING PLANT
Unit : 993-1005, Kandhla Road, Kairana, Distt-Shamli (U.P.) INDIA
Corporate Office : 101-102, 1st Floor Model Basti, Rani Jhansi Road, New Delhi-110005
Tel. : 0091-11-23634398, 23626691, 23536493, Fax : 0091-011-23623394

Ref. No. MAF..09

Date 28-9-2024

Annexure R4/4

सेवा मे,

सदस्य सचिव

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

लखनऊ।

विषयः– उद्योग मैसर्स मीम एग्रो फूड्स प्रा0 लि0 को प्रेषित कारण बताओ नोटिस मे निक्षेपण हेतू।

महोदय,

अवगत कराना है कि उद्योग मैसर्स मीम एग्रो फूड्स प्रा0 लि0 स्थित कांधला रोड कैराना जिला शामली को पत्रांक सं0 H16194/C3/जल 589/2024 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया है। जिसके सापेक्ष उद्योग का उत्तर निम्नवत है।

1–उद्योग द्वारा उद्योग मे स्थापित ई0टी0पी0 का संचालन लगातार किया जाता है तथा इसकी मासिक नमूना विश्लेषण NABL मान्यता प्राप्त लैब से करायी जाती है।

2–उद्योग द्वारा अप्रैल ,मई, जुलाई की NABL मान्यता प्राप्त लैब की विश्लेषण आख्या संलग्न है।

3–ईद के त्यौहार के कारण कच्चे माल की अनुपलब्धता तथा लेवर के छुटटी पर जाने के कारण उद्योग 10–06–2024 से 24–06–2024 तक पूर्णतया बन्द था जिसका पुनः संचालन 25–06–2024 को संयुक्त समिति के निरीक्षण वाले दिन ही किया गया था।

4–उद्योग द्वारा संयुक्त समिति से यह आग्रह भी किया गया कि एक लम्बे समय अन्तराल के बाद उद्योग मे उत्पादन कार्य पुनःप्रारम्भ किया गया है। अतः ई0टी0पी0 को

CIN : U15499DL2004PTC127119

Meem Agro Foods Pvt. Ltd.

MANUFACTURER & EXPORTERS OF FROZEN BONELESS BUFFALO MEAT
APEDA APPROVED ABATTOIRS CUM MEAT PROCESSING PLANT
Unit : 993-1005, Kandhla Road, Kairana, Distt-Shamli (U.P.) INDIA
Corporate Office : 101-102, 1st Floor Model Basti, Rani Jhansi Road, New Delhi-110005
Tel. : 0091-11-23634398, 23626691,23536493, Fax : 0091-011-23623394

Ref. No. MAF 09.

Date 26.9.2024.

कम से कम 2 दिन स्टेबलाइज होने दे। तथा नमूना एकीकरण का कार्य 4 दिन बाद करवा लिया जाये। जिससे कि ई0टी0पी0 की सही स्थिति का आकंलन हो सके ।

5–उद्योग द्वारा ई0टी0पी0के आउटलेट की नमूना विश्लेषण 27–06–2024 को कराया (आख्या संलग्न)

6–उद्योग द्वारा PAID ANALYSIS उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी करायी गयी।(आख्या संलग्न)

7–श्री सुमंत ओझा ,एनीमल राईटस एक्टीविस्ट ,दिल्ली द्वारा प्रेषित शिकायती पत्र मे उल्लेखित किये गये वक्तव्य से उद्योग का कोई लेना देना नही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त को संज्ञान मे लेते हुए उद्योग को प्रेषित कारण बताओ नोटिस को निक्षेपित करने की कृपा करे। आपकी अति कृपा होगी।

धन्यवाद

दिनांक

भवदीय

प्रतिलिपिः–

1–मुख्य पर्यावरण अधिकारी व्रत–3 उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ

2–क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुजफ्फरनगर।

CIN : U15499DL2004PTC127119

Meem Agro Foods Pvt. Ltd.

MANUFACTURER & EXPORTERS OF FROZEN BONELESS BUFFALO MEAT
APEDA APPROVED ABATTOIRS CUM MEAT PROCESSING PLANT

Unit : 993-1005, Kandhla Road, Kairana, Distt-Shamli (U.P.) INDIA
Corporate Office : 101-102, 1st Floor Model Basti, Rani Jhansi Road, New Delhi-110005
Tel. : 0091-11-23634398, 23626691,23536493, Fax : 0091-011-23623394

Ref. No. ....

Date . ...

TO WHOM IT MAY CONCERN

The unit was closed from 10th June 2024 to 24th June 2024 on occasion of Eid Al Adha (Bakrid).

...Foods Pvt. Ltd.

...Signatory

Regd. Office : T-239, 1st Floor, Gali Haji Ameer Bakhsh, Quresh Nagar, Sadar Bazar, Delhi-110006 (INDIA)
Tel : 0091-11-23634398, 23626691, 23536493, Fax : 0091-011-23623394 E-mail : meemagro@gmail.com

Annexure R4/8

MEEM AGRO FOODS PVT. LTD.
KAIRANA, SHAMLI (U.P.)

Date:- 01/06/24.

Daily Summary of Antemortem Examination of Animals (Buffalo)

1. Total No. of Animals Examined......600..........
2. Total No. of Female Animals.....60..............
3. Total No. of Male Animals..........540.........
4. Total No. of Animals Passed......597............
5. Total No. of Animals Rejected....03...............

Note: - Rejected animals send back to suppliers.

The animals are approved for slaughtering in licensed abattoir of Meem Agro Foods Pvt. Ltd. Kairana, Shamli under the supervision of Registered Veterinary Officers, Antemortem Examination is randomly done by Govt. Veterinary Officer.

Dr. Arvind Singh Yadav
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05974

Dr. Suneel Kumar Saha
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05972

Dr. Ajeet Kumar
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-0[illegible]

Signature & Stamps
Of Veterinary Doctors

Dr. Manoj Kumar Maurya
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No U.P.V.C.-06209

4.12 Animals Buffalo

Signature & Stamp
Of Govt. Veterinary Officer

Dr. Rajiva Kumar Rana
Govt. Veterinary Hospital
Unchagaon (Shamli)

Dr. Vijendra Singh
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No U.P.V.C.-05677

Dr. Ram Prakash
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-0[illegible]

MEEM AGRO FOODS PVT. LTD.
KAIRANA, SHAMLI (U.P.)

Date:- 02/06/24

Dailv Summary of Antemortem Examination of Animals (Buffalo)

1. Total No. of Animals Examined....588......
2. Total No. of Female Animals....35........
3. Total No. of Male Animals........553......
4. Total No. of Animals Passed.......586.......
5. Total No. of Animals Rejected........02.......

Note: - Rejected animals send back to suppliers.

The animals are approved for slaughtering in licensed abattoir of Meem Agro Foods Pvt. Ltd. Kairana, Shamli under the supervision of Registered Veterinary Officers. Antemortem Examination is randomly done by Govt. Veterinary Officer.

Dr. Arvind Singh Yadav
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05974

Dr. Ram Prakash
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05648

Dr. Suneel Kumar Saha
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05972

of 12 Animals Buffalo

Signature & Stamps
Of Veterinary Doctors

Dr. Ajeet Kumar
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-06520

Signature & Stamp
Of Govt. Veterinary Officer

Dr. Rajiva Kumar Rana
Govt. Veterinary Hospital
Unchagaon (Shamli)

Dr. Vijendra Singh
B.V.Sc. & A.H.

Dr. [illegible] Kumar Maurya
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05269

MEEM AGRO FOODS PVT. LTD.
KAIRANA, SHAMLI (U.P.)

Date:- 03/06/24

Daily Summary of Antemortem Examination of Animals (Buffalo)

1. Total No. of Animals Examined.......600.......
2. Total No. of Female Animals.......68.......
3. Total No. of Male Animals.......532.......
4. Total No. of Animals Passed.......598.......
5. Total No. of Animals Rejected.......02.......

Note: - Rejected animals send back to suppliers.

The animals are approved for slaughtering in licensed abattoir of Meem Agro Foods Pvt. Ltd. Kairana, Shamli under the supervision of Registered Veterinary Officers. Antemortem Examination is randomly done by Govt. Veterinary Officer.

Dr. Suneel Kumar Saha
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05972

Dr. Ajeet Kumar
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05520

Of 12 Buffalo Animals

Dr. Arvind Singh Yadav
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05974

Signature & Stamps
Of Veterinary Doctors

Dr. Manoj Kumar Maurya
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor

Dr. Vijendra Singh
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-06677

Signature & Stamp
Of Govt. Veterinary Officer

Dr. Rajiva Kumar Rana
Govt. Veterinary Hospital
Unchagaon (Shamli)

Dr. Ram Prakash
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-[illegible]

MEEM AGRO FOODS PVT. LTD.
KAIRANA, SHAMLI (U.P.)

Date:- 04/06/24

Daily Summary of Antemortem Examination of Animals (Buffalo)

1. Total No. of Animals Examined......598......
2. Total No. of Female Animals......64......
3. Total No. of Male Animals......534......
4. Total No. of Animals Passed......596......
5. Total No. of Animals Rejected......02......

Note: - Rejected animals send back to suppliers.

The animals are approved for slaughtering in licensed abattoir of Meem Agro Foods Pvt. Ltd. Kairana, Shamli under the supervision of Registered Veterinary Officers. Antemortem Examination is randomly done by Govt. Veterinary Officer.

Dr. Suneel Kumar Saha
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05972

Dr. Ram Prakash
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05648

412 Animals Buffalo

Dr. Ajeet Kumar
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-0

Signature & Stamps
Of Veterinary Doctors

Signature & Stamp
Of Govt. Veterinary Officer

Dr. Rajiva Kumar Rana
Govt. Veterinary Hospital
Unchagaon (Shamli)

Dr. Vijendra Singh
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-06677

Dr. Arvind Singh Yadav
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05974

Dr. [illegible] Maurya
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor

MEEM AGRO FOODS PVT. LTD.
KAIRANA, SHAMLI (U.P.)

Date:- 05/06/24.

Daily Summary of Antemortem Examination of Animals (Buffalo)

1. Total No. of Animals Examined.......600..........
2. Total No. of Female Animals.....63..............
3. Total No. of Male Animals............537........
4. Total No. of Animals Passed.....597.............
5. Total No. of Animals Rejected.....03............

Note: - Rejected animals send back to suppliers.

The animals are approved for slaughtering in licensed abattoir of Meem Agro Foods Pvt. Ltd. Kairana, Shamli under the supervision of Registered Veterinary Officers. Antemortem Examination is randomly done by Govt. Veterinary Officer.

Dr. Arvind Singh Yadav.
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No U.P.V.C.-05974

Dr. Ajeet Kumar
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-0...

Dr. Suneel Kumar Saha
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05972

Signature & Stamps
Of Veterinary Doctors

Dr. Ram Prakash
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05643

Dr. Vijendra Singh
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-06677

of 12 Buffalo Animals

Signature & Stamp
Of Govt. Veterinary Officer

Dr. Rajiva Kumar Rana
Govt. Veterinary Hospital
Unchagaon (Shamli)

Dr. Manoj Kumar Malik
B.V.Sc. & A.H.
V. Doctor

MEEM AGRO FOODS PVT. LTD.
KAIRANA, SHAMLI (U.P.)

Date:- 06/06/24

Daily Summary of Antemortem Examination of Animals (Buffalo)

1. Total No. of Animals Examined...... 592 ......
2. Total No. of Female Animals...... 45 ......
3. Total No. of Male Animals...... 547 ......
4. Total No. of Animals Passed...... 590 ......
5. Total No. of Animals Rejected...... 02 ......

Note: - Rejected animals send back to suppliers.

The animals are approved for slaughtering in licensed abattoir of Meem Agro Foods Pvt. Ltd. Kairana, Shamli under the supervision of Registered Veterinary Officers. Antemortem Examination is randomly done by Govt. Veterinary Officer.

Dr. Arvind Singh Yadav
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05974

Dr. Ram Prakash
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05648

of 13 Buffalo Animals

Dr. Suneel Kumar Saha
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05972

Signature & Stamps
Of Veterinary Doctors

Dr. Vijendra Singh
B.V.Sc. & A.H.

Dr. Ajeet Kumar
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-0

Signature & Stamp
Of Govt. Veterinary Officer
Dr. Rajiva Kumar Rana
Govt. Veterinary Hospital
Unchagaon (Shamli)

MEEM AGRO FOODS PVT. LTD.
KAIRANA, SHAMLI (U.P.)

Date:- 08/06/24.

Daily Summary of Antemortem Examination of Animals (Buffalo)

1. Total No. of Animals Examined...... 587..........
2. Total No. of Female Animals...... 66..............
3. Total No. of Male Animals.......... 521...........
4. Total No. of Animals Passed...... 584...............
5. Total No. of Animals Rejected......... 03............

Note: - Rejected animals send back to suppliers,

The animals are approved for slaughtering in licensed abattoir of Meem Agro Foods Pvt. Ltd. Kairana, Shamli under the supervision of Registered Veterinary Officers. Antemortem Examination is randomly done by Govt. Veterinary Officer.

Dr. Arvind Singh Yadav
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05974

Dr. Suneel Kumar Saha
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05972

of 12 Buffalo Animals

Dr. Ajeet Kumar
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-[illegible]

Signature & Stamps
Of Veterinary Doctors

Signature & Stamp
Of Govt. Veterinary Officer

Dr. Rajiva Kumar Rana
Govt. Veterinary Hospital
Unchagaon (Shamli)

Dr. Ram Prakash
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-056[illegible]

[illegible] Singh
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
[illegible]

Dr. Manoj Kumar [illegible]
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor

MEEM AGRO FOODS PVT. LTD.
KAIRANA, SHAMLI (U.P.)

Date:- 26/06/24

Daily Summary of Antemortem Examination of Animals (Buffalo)

1. Total No. of Animals Examined....463........
2. Total No. of Female Animals....59...............
3. Total No. of Male Animals..........404.........
4. Total No. of Animals Passed...461..................
5. Total No. of Animals Rejected......02............

Note: - Rejected animals send back to suppliers.

The animals are approved for slaughtering in licensed abattoir of Meem Agro Foods Pvt. Ltd, Kairana, Shamli under the supervision of Registered Veterinary Officers. Antemortem Examination is randomly done by Govt. Veterinary Officer.

Dr. Arvind Singh Yadav
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C -05974

Dr. Suneel Kumar Saha
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05972

Dr. Ajeet Kumar
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05520

Signature & Stamps
Of Veterinary Doctors

Dr. Vijendra Singh
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05677

47 12-Buffalo Animals
02

Signature & Stamp
Of Govt. Veterinary Officer

Dr. Rajiva Kumar Rana
Veterinary Hospital
Unchagaon (Shamli)

MEEM AGRO FOODS PVT. LTD.
KAIRANA, SHAMLI (U.P.)

Date:- 27/06/24

Daily Summary of Antemortem Examination of Animals (Buffalo)

1. Total No. of Animals Examined 180
2. Total No. of Female Animals 13
3. Total No. of Male Animals 167
4. Total No. of Animals Passed 179
5. Total No. of Animals Rejected 01

Note: - Rejected animals send back to suppliers.

The animals are approved for slaughtering in licensed abattoir of Meem Agro Foods Pvt. Ltd. Kairana, Shamli under the supervision of Registered Veterinary Officers. Antemortem Examination is randomly done by Govt. Veterinary Officer.

Dr. Suneet Kumar Saha
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg No U.P.V.C -05972

Dr. Ram Prakash
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg No U.P.V.C.-05648

Of 12 Buffalo Animals

Dr. [illegible]
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No U.P.V.C -05974

Signature & Stamps
Of Veterinary Doctors

Signature & Stamp
Of Govt. Veterinary Officer

Dr. Rajiva Kumar Rana
Govt. Veterinary Hospital
Unchagaon (Shamli)

Dr. Ajeet Kumar
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg No U.P.V.C [illegible]

[illegible] ndra Singh
[illegible] & A.H.
[illegible] Doctor
[illegible] C -05677

Dr. Manoj Kumar [illegible]
B.V.Sc. & A.H.
[illegible] Doctor
[illegible]

MEEM AGRO FOODS PVT. LTD.
KAIRANA, SHAMLI (U.P.)

Date:- 29/06/24

Daily Summary of Antemortem Examination of Animals (Buffalo)

1. Total No. of Animals Examined...... 600 ....
2. Total No. of Female Animals...... 58 ....
3. Total No. of Male Animals...... 542 ....
4. Total No. of Animals Passed... 598 ....
5. Total No. of Animals Rejected...... 02 ....

Note: - Rejected animals send back to suppliers.

The animals are approved for slaughtering in licensed abattoir of Meem Agro Foods Pvt. Ltd, Kairana, Shamli under the supervision of Registered Veterinary Officers. Antemortem Examination is randomly done by Govt. Veterinary Officer.

Dr. Arvind Singh Yadav
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05974

Dr. Ajeet Kumar
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-06520

Dr. Sunee[illegible] Saha
B.V.Sc.
Veterinary [illegible]
Reg. No. U.P.V.C.-[illegible]

Signature & Stamps
Of Veterinary Doctors

4 12 Buffalo Animals
02

Signature & Stamp
Of Govt. Veterinary Officer

Dr. Ra[illegible]
B.V.Sc. [illegible]

Dr. Manoj Kumar Maurya
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
[illegible] U.P.V.C.-06209

Dr. Rajiva Kumar Rana
Govt. Veterinary Hospital
Unchagaon (Shamli)

Dr. V[illegible]
B.V.Sc. & A.H.
[illegible]

MEEM AGRO FOODS PVT. LTD.
KAIRANA, SHAMLI (U.P.)

Date:- 30/06/24

Daily Summary of Antemortem Examination of Animals (Buffalo)

1. Total No. of Animals Examined...... 533 ....
2. Total No. of Female Animals...... 76 ....
3. Total No. of Male Animals........... 457 ....
4. Total No. of Animals Passed.......... 530 ....
5. Total No. of Animals Rejected........ 03 ....

Note: - Rejected animals send back to suppliers.

The animals are approved for slaughtering in licensed abattoir of Meem Agro Foods Pvt. Ltd. Kairana, Shamli under the supervision of Registered Veterinary Officers. Antemortem Examination is randomly done by Govt. Veterinary Officer.

Dr. Arvind Singh Yadav
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05974

Dr. Ram Prakash
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05643

Suneel Kumar Saha
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05972

4 12 Buffalo Animals

Signature & Stamps
Of Veterinary Doctors

Signature & Stamp
Of Govt. Veterinary Officer

Dr. Ajeet Kumar
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor

Dr. [illegible]ndra Singh
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
U.P.V.C.-06677

Dr. Rajiva Kumar Rana
Govt. Veterinary Hospital
[illegible]hagaon (Shamli)

MEEM AGRO FOODS PVT. LTD.
KAIRANA, SHAMLI (U.P.)

Date:-...01/06/24...

Daily Summary of Postmortem Examination of Animals (Buffalo)

1. Total No. of Carcasses Examined......588........ 2. Total No. of Carcasses Passed.....588............

3. Total No. of Carcasses Rejected......—.........

Note: - Rejected/Condemned carcasses send to Rendering Plant or disposal facility.

The Postmortem Examination is done in licensed abattoir of Meem Agro Foods Pvt. Ltd. Kairana, Shamli under the supervision of Govt. Veterinary officer.

Dr. Suneel Kumar Saha
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05972

Dr. Ajeet Kumar
B.V.Sc. & A.H.
Veterin...
Reg. No. U...

Signature & Stamps
Of Veterinary Doctors

of 13 Buffalo Carcass

Signature & Stamp
Of Govt. Veterinary Officer

Dr. Rajiva Kumar Rana
Govt. Veterinary Hospital
Unchagaon (Shamli)

D... Maurya
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. ...209

Dr. Ram Prakash
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05845

Dr. Arvind Singh Yadav
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05974

Dr. Vijendra Singh
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. ...

MEEM AGRO FOODS PVT. LTD.
KAIRANA, SHAMLI (U.P.)

Date:- 02/06/24

Daily Summary of Postmortem Examination of Animals (Buffalo)

1. Total No. of Carcasses Examined...597...
2. Total No. of Carcasses Passed...597...
3. Total No. of Carcasses Rejected...—...

Note: - **Rejected/Condemned carcasses send to Rendering Plant or disposal facility.**

The Postmortem Examination is done in licensed abattoir of Meem Agro Foods Pvt. Ltd. Kairana, Shamli under the supervision of Govt. Veterinary officer.

Dr. Suneet Kumar Saha
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05972

Dr. Ajeet Kumar
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05...

Signature & Stamps
Of Veterinary Doctors

Dr. Ram Prakash
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05648

Dr. Arvind Singh Yadav
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05974

of 13 Buffalo Carcass

Signature & Stamp
Of Govt. Veterinary Officer

Dr. Rajiva Kumar Rana
Govt. Veterinary Hospital
Unchagaon (Shamli)

Dr. [illegible] Singh
B.V.Sc. & A.H.

Dr. [illegible]
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-...09

MEEM AGRO FOODS PVT. LTD.
KAIRANA, SHAMLI (U.P.)

Date:- 03/06/24

Daily Summary of Postmortem Examination of Animals (Buffalo)

1. Total No. of Carcasses Examined......586........ 2. Total No. of Carcasses Passed......586............

3. Total No. of Carcasses Rejected........ —— ....

Note: - Rejected/Condemned carcasses send to Rendering Plant or disposal facility.

The Postmortem Examination is done in licensed abattoir of Meem Agro Foods Pvt. Ltd. Kairana, Shamli under the supervision of Govt. Veterinary officer.

Dr. Suneel Kumar Saha
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05972

Dr. Arvind Singh Yadav
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05974

Signature & Stamps
Of Veterinary Doctors

of 13 Buffalo Carcasses

Signature & Stamp
Of Govt. Veterinary Officer

Dr. Rajiva Kumar Rana
Govt. Veterinary Hospital
Unchagaon (Shamli)

Dr. Ram Prakash
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor

Dr. ... Kumar Maurya
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-06209

Dr. Ajeet Kumar
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-06...

Dr. ...ra Singh
...& A.H.
...Doctor

MEEM AGRO FOODS PVT. LTD.
KAIRANA, SHAMLI (U.P.)

Date:- 04/06/24

Daily Summary of Postmortem Examination of Animals (Buffalo)

1. Total No. of Carcasses Examined....... 598 ....
2. Total No. of Carcasses Passed... 597 ....
3. Total No. of Carcasses Rejected....... 01 ....

Note: - Rejected/Condemned carcasses send to Rendering Plant or disposal facility.

The Postmortem Examination is done in licensed abattoir of Meem Agro Foods Pvt. Ltd. Kairana, Shamli under the supervision of Govt. Veterinary officer.

Dr. Suneel Kumar Saha
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05972

Signature & Stamps
Of Veterinary Doctors

4 13 Buffalo Carcass

Signature & Stamp
Of Govt. Veterinary Officer

Dr. Arvind Singh Yadav
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05974

Dr. Manoj Kumar Maurya
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C. ...

Dr. Ram Prakash
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05648

Dr. Ajeet Kumar
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-...

Dr. Rajiva Kumar Rana
Govt. Veterinary Hospital
Unchagaon (Shamli)

... Singh
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor

MEEM AGRO FOODS PVT. LTD.
KAIRANA, SHAMLI (U.P.)

Date:- 35/06/24

Daily Summary of Postmortem Examination of Animals (Buffalo)

1. Total No. of Carcasses Examined...... 596 .... 2. Total No. of Carcasses Passed.. ...596...........

3. Total No. of Carcasses Rejected...... — ....

Note: - **Rejected/Condemned carcasses send to Rendering Plant or disposal facility.**

The Postmortem Examination is done in licensed abattoir of Meem Agro Foods Pvt. Ltd. Kairana, Shamli under the supervision of Govt. Veterinary officer.

Dr. Suneel Kumar Saha
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05972

Dr. Ajeet Kumar
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-[illegible]

Signature & Stamps
Of Veterinary Doctors

of 12 Buffalo carcasses

Signature & Stamp
Of Govt. Veterinary Officer

Dr. Mano[illegible]
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-06209

Dr. Ram Prakash
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05648

Dr. Arvind Singh Yadav
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05974

Dr. Rajiva Kumar Rana
Govt. Veterinary Hospital
Unchagaon (Shamli)

Dr. Vijendra Singh
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C. 0[illegible]77

MEEM AGRO FOODS PVT. LTD.
KAIRANA, SHAMLI (U.P.)

Date:- 06/06/24.

Daily Summary of Postmortem Examination of Animals (Buffalo)

1. Total No. of Carcasses Examined....597.......
2. Total No. of Carcasses Passed....596....
3. Total No. of Carcasses Rejected....01.......

Note: - Rejected/Condemned carcasses send to **Rendering Plant or disposal facility.**

The Postmortem Examination is done in licensed abattoir of Meem Agro Foods Pvt. Ltd. Kairana, Shamli under the supervision of Govt. Veterinary officer.

Dr. Suneel Kumar Saha
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg: No. U.P.V.C.-05972

Signature & Stamps
Of Veterinary Doctors

Dr. Ram Prakash
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05648

4 14 Buffalo carcass

Signature & Stamp
Of Govt. Veterinary Officer

Dr. Ajeet Kumar
B.V.Sc & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No U.P.V.C.-06520

Dr. [illegible]
[illegible] A.H.
[illegible] Doctor
Reg. No. [illegible]

Dr. [illegible] Kumar Maurya
[illegible] & A.H.
[illegible] Doctor
[illegible] U.P.V.C.-06209

Dr. Rajiva Kumar Rana
Govt. Veterinary Hospital
Unchagaon (Shamli)

Dr. Arvind Singh Yadav
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-0597[illegible]

[illegible] Singh
[illegible] A.H.
[illegible] Doctor
[illegible]

MEEM AGRO FOODS PVT. LTD.
KAIRANA, SHAMLI (U.P.)

Date:- 08/06/24

Daily Summary of Postmortem Examination of Animals (Buffalo)

1. Total No. of Carcasses Examined....... 590........
2. Total No. of Carcasses Passed........ 590..........
3. Total No. of Carcasses Rejected........ —........

Note: - Rejected/Condemned carcasses send to Rendering Plant or disposal facility.

The Postmortem Examination is done in licensed abattoir of Meem Agro Foods Pvt. Ltd. Kairana, Shamli under the supervision of Govt. Veterinary officer.

Dr. Suneel Kumar Saha
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05972

Signature & Stamps
Of Veterinary Doctors

Of 13 Buffalo carcass

Signature & Stamp
Of Govt. Veterinary Officer

Dr. Ajeet Kumar
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
U.P.V.C.-06529

Dr. Ram Prakash
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-0...

Dr. ... Kumar ...
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-06209

Dr. Rajiva Kumar Rana
Govt. Veterinary Hospital
Unchagaon (Shamli)

Dr. Arvind Singh Yadav
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05974

... Singh
... A.H.
... Doctor

MEEM AGRO FOODS PVT. LTD.
KAIRANA, SHAMLI (U.P.)

Date:- 09/06/24

Daily Summary of Postmortem Examination of Animals (Buffalo)

1. Total No. of Carcasses Examined....... 584 ....
2. Total No. of Carcasses Passed....... 584 ....
3. Total No. of Carcasses Rejected....... — ....

Note: - **Rejected/Condemned carcasses send to Rendering Plant or disposal facility.**

The Postmortem Examination is done in licensed abattoir of Meem Agro Foods Pvt. Ltd. Kairana, Shamli under the supervision of Govt. Veterinary officer.

Dr. Suneel Kumar Saha
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05972

Dr. Ajeet Kumar
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-06520

Signature & Stamps
Of Veterinary Doctors

4 13 Buffalo Lorries

Signature & Stamp
Of Govt. Veterinary Officer

Dr. Arvind Singh Yadav
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05974

Dr. Ram Prakash
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C. [illegible]

Dr. Manoj Kumar Maurya
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-06209

Dr. Rajiva Kumar Rana
Govt. Veterinary Hospital
Unchagaon (Shamli)

[illegible] Singh
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor

MEEM AGRO FOODS PVT. LTD.
KAIRANA, SHAMLI (U.P.)

Date:- 27/06/24

Daily Summary of Postmortem Examination of Animals (Buffalo)

1. Total No. of Carcasses Examined........461.........
2. Total No. of Carcasses Passed........461..............
3. Total No. of Carcasses Rejected........—..............

Note: - Rejected/Condemned carcasses send to Rendering Plant or **disposal facility.**

The Postmortem Examination is done in licensed abattoir of Meem Agro Foods Pvt. Ltd. Kairana, Shamli under the supervision of Govt. Veterinary officer.

Dr. Suneel Kumar Saha
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05972

Signature & Stamps
Of Veterinary Doctors

Dr. Ram Prakash
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05648

Of 13 Buffelo Carcass

Signature & Stamp
Of Govt. Veterinary Officer

Dr. Ajeet Kumar
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Dc
Reg. No. U.P.V.C.

Dr. Arvind Singh Yadav
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05974

Dr. Vijendra Singh
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
U.P.V.C.-06677

Dr. Rajiva Kumar Rana
Govt. Veterinary Hospital
Unchagaon (Shamli)

...aurya
...A.H.
...Doctor

MEEM AGRO FOODS PVT. LTD.
KAIRANA, SHAMLI (U.P.)

Date:- 29/06/24

Daily Summary of Postmortem Examination of Animals (Buffalo)

1. Total No. of Carcasses Examined ....179........
2. Total No. of Carcasses Passed ....179..............
3. Total No. of Carcasses Rejected ....—........

Note: - **Rejected/Condemned carcasses send to Rendering Plant or disposal facility.**

The Postmortem Examination is done in licensed abattoir of Meem Agro Foods Pvt. Ltd. Kairana, Shamli under the supervision of Govt. Veterinary officer.

Dr. Suneel Kumar Saha
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg: No. U.P.V.C.-05972

Signature & Stamps
Of Veterinary Doctors

Dr. Arvind Singh Yadav
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05974

Of 13 Buffalo Carcass

Signature & Stamp
Of Govt. Veterinary Officer

Dr. Ajeet Kumar
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor

Dr. Ram Prakash
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor

Dr. ... Maurya
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-06209

Dr. Rajiva Kumar Rana
Govt. Veterinary Hospital
Unchagaon (Shamli)

MEEM AGRO FOODS PVT. LTD.
KAIRANA, SHAMLI (U.P.)

Date:- 30/06/24

Daily Summary of Postmortem Examination of Animals (Buffalo)

1. Total No. of Carcasses Examined....... 598 ....
2. Total No. of Carcasses Passed....... 578 ....
3. Total No. of Carcasses Rejected....... — ....

Note: - **Rejected/Condemned carcasses send to Rendering Plant or disposal facility.**

The Postmortem Examination is done in licensed abattoir of Meem Agro Foods Pvt. Ltd. Kairana, Shamli under the supervision of Govt. Veterinary officer.

Dr. Suneel Kumar Saha
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-05972

Signature & Stamps
Of Veterinary Doctors

Dr. Ram Prakash
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg No. U.P.V.C.-05648

Of 13 Buffalo Carcass

Signature & Stamp
Of Govt. Veterinary Officer

Dr. Ajeet Kumar
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C. [illegible]

Dr. [illegible]
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg. No. U.P.V.C.-[illegible]

Dr. Arvind Singh Yadav
B.V.Sc. & A.H.
Veterinary Doctor
Reg No U.P.V.C.-05974

Dr Rajiva Kumar Rana
Govt. Veterinary Hospital
Unchagaon (Shamli)

Dr Vijendra Singh
[illegible] A.H.

Annexure R4/5

Email : romuzaffarnagar@uppcb.in

दूरभाष : 0131–2604300

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

6–बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर–251001 (उ०प्र०)

संदर्भ सं०
Ref. No. 1522/C/M-57/Shamli/2025

दिनांक
Dated 10-03-2025

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

विषयः–उद्योग मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला शामली के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33ए सपठित धारा 27(2) के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस को निक्षेपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक एच25426/सी–3/जल–589/2025 दिनांक 10.03.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उद्योग मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला शामली के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण एवं बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच16194/सी–3/जल 589/2024 दिनांक 27.08.2024 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33ए सपठित धारा 27(2) के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस को निक्षेपित किये जाने के सम्बन्ध में पुनः आख्या चाही गयी थी। तत्क्रम में कार्यालय की संशोधित अद्यतन आख्या पत्र के साथ संलग्न है।

कार्यालय की आख्या में दिये गये तथ्यों के आधार पर उद्योग मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला शामली के विरूद्ध रूपये 19,50,000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच16194/सी–3/जल 589/2024 दिनांक 27.08.2024 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33ए सपठित धारा 27(2) के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस को सशर्त निक्षेपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अंकित सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

O/c (AEE)

बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच25426/सी–3/जल–589/2025 दिनांक 10.03.2025 के क्रम में उद्योग मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला शामली के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 27.08.2024 के निक्षेपण के सम्बन्ध में अद्यतन आख्या।

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच21667/सी–3/शि0 96/मु0नगर/24 दिनांक 23.12.2024 एवं पत्रांक एच22987/सी–3/शि0 96/25 दिनांक 21.01.2025 उद्योग मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला शामली के विरूद्ध प्राप्त शिकायती प्रकरणों के सम्बन्ध में उद्योग का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 05.02.2025 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान निम्नवत् तथ्य पाये गये थे :–

1– उद्योग मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला शामली एक इन्टीग्रेटेड पशुवधशाला है, जिसे 600 बड़े पशुओं (महिषवंशी) के पशुवध हेतु राज्य बोर्ड से सहमति जल एवं वायु निर्गत है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2028 तक है। निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया।

2– उद्योग में स्लाटरिंग, फ्लोर वॉशिंग तथा रैण्डरिंग प्लांट से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है, जिसकी प्रमुख इकाईयां स्क्रीन चैम्बर, ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रैप, इक्वालाईजेशन टैंक, डिजोल्व्ड एयर फ्लोटेशन, सीक्वेंशियल बायो–रिएक्टर, मल्टीग्रेड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर तथा स्लज ड्राइंग बैड्स आदि हैं। निरीक्षण के समय उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र संचालित पाया गया तथा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के इनलेट एवं फाइनल आउटलेट से उत्प्रवाह के नमूने एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला में जमा कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्याओं के अनुसार उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के अन्तिम निस्तारण बिन्दु से एकत्रित जल नमूने में समस्त प्रदूषित प्रचालकों का मान बोर्ड मानकों के अनुरूप पाया गया। दिनांक 05.02.2025 लिये गये जल नमूनों की विश्लेषण आख्या की छायाप्रति संलग्न है **(संलग्नक–1)**।

3– शुद्धिकृत उत्प्रवाह की जलगुणता के सतत् अनुश्रवण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के आउटलेट पर ऑनलाइन इफ्ल्यूएंट मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित है, जो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर से लिंक है।

4– निरीक्षण के समय उद्योग में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के अन्तिम निस्तारण बिन्दु से जनित हो रहे उत्प्रवाह को उद्योग से लगभग 1 किमी0 की दूरी पर स्थित स्वयं की भूमि पर सिंचाई में प्रयुक्त किया जाता पाया गया।

5– उद्योग में पशुवध से जनित ब्लड के निस्तारण हेतु ब्लड कोगुलेटर स्थापित है, जो निरीक्षण के समय संचालित पाया गया।

6– उद्योग में स्लाटरिंग प्रक्रिया से जनित निष्प्रयोज्य चर्बी, हड्डी एवं मॉस इत्यादि के निस्तारण हेतु रैण्डरिंग प्लांट स्थापित है, जो निरीक्षण के समय संचालित पाया गया।

7– उद्योग में वायु प्रदूषण स्रोत के रूप में 6.0 टीपीएच वाष्प जनन क्षमता का ब्वायलर स्थापित है, जिस पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में मल्टीसाइक्लोन तथा भूतल से लगभग

क्रमशः ...2...

Deepti
JE

Kamlesh
(AEE)

30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। चिमनी से जनित उत्सर्जन में प्रचालकों के सतत् अनुश्रवण हेतु ऑनलाइन कन्टीन्युअस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित है। निरीक्षण के समय वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था संचालित पायी गयी।

8– उद्योग में रैण्डरिंग प्लांट से जनित दुर्गंध के नियंत्रण हेतु बायोफिल्टर स्थापित है, जो संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय बायोफिल्टर पर पानी का छिड़काव होता हुआ पाया गया।

9– उद्योग में स्लाटरिंग से जनित गोबर को स्वयं की भूमि पर डम्प किया जाता पाया गया।

पूर्व में इस कार्यालय द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांक 18.05.2024 एवं बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 15.05.2024 द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा उपरोक्त वर्णित शिकायती उद्योग का निरीक्षण दिनांक 25.06.2024 को किया गया था। गठित संयुक्त समिति की संस्तुतियों दिनांक 12.07.2024 एवं इस कार्यालय के पत्र दिनांक 11.06.2024 द्वारा की गयी संस्तुतियो के आधार पर बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच16194/सी–3/जल–589/2024 दिनांक 27.08.2024 द्वारा उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

अग्रेतर, अवगत कराना है कि श्री धन्नी पुत्र बुद्ध व समस्त मौहल्लेवासी निवासी मौहल्ला दरबार खुर्द–रेत्तेवाला व मौहल्ला छड़ियान, वार्ड नं0 13 व 10, कस्बा व तहसील कैराना, जनपद शामली द्वारा दिये गये शिकायती पत्र के क्रम में आयुक्त महोदय, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर द्वारा अपने पत्रांक 3422/एसटी/2024 दिनांक 12.11.2024 **(संलग्नक–2)** द्वारा उद्योग मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला शामली के निरीक्षण हेतु संयुक्त समिति का गठन कर जाँच आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। तत्क्रम में गठित संयुक्त समिति द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक 18.11.2024 को किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की कुछ इकाईयाँ सुचारू रूप से संचालित नही पायी गयी थी। उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के फाइनल आउटलेट से उत्प्रवाह का नमूना एकत्रित कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला में जमा कराया गया था। प्राप्त विश्लेषण आख्या के अनुसार प्रचालक pH=6.9, BOD=48 mg/l, COD=320 mg/l, TSS=48 mg/l, TDS=1496 mg/l, TS = 1544 mg/l मानकों से अधिक पाये गये थे **(संलग्नक–3)**। तत्क्रम में उद्योग के विरूद्ध दिनांक 18.05.2024 से 18.11.2024 के मध्य कुल 185 उल्लंघनकारी दिवसों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 55,50,000/– अधिरोपित किये जाने एवं जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश पारित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या संयुक्त समिति द्वारा आयुक्त महोदय, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर को प्रेषित की गयी थी। तत्क्रम में उपजिलाधिकारी कैराना के पत्रांक 1626/एसटी दिनांक 21.01.2025 **(संलग्नक–4)**, जो इस कार्यालय में दिनांक 27.01.2027 को प्राप्त हुआ, के द्वारा संयुक्त सनिति की आख्या के अनुसार उद्योग के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

क्रमशः ...3...

SE

(AEE)

अग्रेतर, अवगत कराना है कि कार्यालय जिलाधिकारी शामली के पत्रांक 1014/जी—70/महाकुम्भ/शामली/2024 दिनांक 18.11.2024 द्वारा महाकुम्भ प्रयागराज के दौरान उद्योगों के निरीक्षण हेतु गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा भी उद्योग का निरीक्षण दिनांक 20.01.2025 को किया गया। तत्समय उद्योग संचालित पाया गया था तथा उद्योग से किसी भी प्रकार का औद्योगिक उत्प्रवाह किसी नदी अथवा नाले में निस्तारित होता हुआ नहीं पाया गया था तथा स्वयं की भूमि पर सिंचाई में प्रयुक्त होता पाया गया था।

यह भी अवगत कराना है कि कार्यालय जिलाधिकारी शामली के पत्र संख्या 127/न्यायिक सहायक दिनांक 10.02.2025 **(संलग्नक—5)** द्वारा उक्त उद्योग के संयुक्त निरीक्षण हेतु उपजिलाधिकारी कैराना, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी शामली, जिला अभिहीत अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन शामली एवं इस कार्यालय की टीम गठित की गयी। गठित टीम द्वारा उद्योग का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 15.02.2025 को किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग संचालित पाया गया। उद्योग में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की समस्त इकाईयां संचालित पायी गयी। ई0टी0पी0 के अन्तिम निस्तारण बिन्दु से शुद्धिकृत उत्प्रवाह का जल नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय के प्रयोगशाला में विश्लेषित कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्या के अनुसार समस्त प्रदूषित प्रचालकों का मान निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया गया है। संयुक्त निरीक्षण आख्या एवं विश्लेषण आख्या संलग्न है **(संलग्नक—6)**।

उपरोक्त समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि उद्योग विभिन्न दिनांकों के मध्य उल्लंघनकारी श्रेणी में आच्छादित रहा है, जिस हेतु उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित है। अतः उद्योग के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक बी—31011/बीएमडब्लू/2019/डब्लूएमडी—1 दिनांक 08.02.2019 द्वारा जारी गाइडलाइन्स को आधार मानते हुए संशोधित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् हैः—

PI = Pollution Index of Industrial Sector – पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार लाल श्रेणी के उद्योगों के लिए 60 से 100, नारंगी श्रेणी के उद्योगों हेतु 41 से 59 एवं हरी श्रेणी के उद्योगों हेतु 21 से 40 रखी गयी है तथा गणना हेतु औसत Pollution Index क्रमशः 80, 50, 30 का सुझाव दिया गया है। सन्दर्भित इकाई लाल श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित है। अतः Environmental Compensation हेतु PI का मान 80 रखा जाना उचित होगा।

N = Number of days of violation took place – उद्योग का पूर्व में औचक निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 18.05.2024 एवं बोर्ड मुख्यालय से गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 25.06.2024 को किया गया था। निरीक्षण के समय उद्योग से जनित उत्प्रवाह मानको के अनुरूप न पाये जाने पर बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 27.08.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। तत्पश्चात् उद्योग का पुनः निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 20.09.2024 को किया गया था, तत्समय उद्योग से लिये गये जल नमूनों में प्रचालकों का मान बोर्ड मानकों के अनुरूप पाया गया था। विश्लेषण आख्या संलग्न है **(संलग्नक—7)**।

अग्रेतर, मा0 आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर द्वारा गठित समिति द्वारा दिनांक 18.11.2024 को किया गया। संयुक्त निरीक्षण के दौरान उद्योग पुनः नॉन–कम्प्लाइंग पाया गया। इस कार्यालय द्वारा उद्योग का पुनः निरीक्षण दिनांक 28.12.2024 को किया गया, तत्समय उद्योग से लिये गये जल नमूनों में प्रचालकों का मान बोर्ड मानकों के अनुरूप पाया गया था। विश्लेषण आख्या संलग्न है **(संलग्नक–8)**। वर्तमान में बोर्ड मुख्यालय से प्राप्त शिकायती प्रकरणों के सम्बन्ध में उद्योग का नवीनतम निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 05.02.2025 को किया गया तथा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के अन्तिम निस्तारण बिन्दु से लिये गये जल नमूने में समस्त प्रदूषित प्रचालकों का मान बोर्ड मानकों के अनुरूप पाया गया तथा उद्योग कम्प्लांइग पाया गया था।

अग्रेतर, उद्योग द्वारा अपने प्रत्युत्तर दिनांक 28.09.2024 में अवगत कराया गया कि उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के इनलेट एवं आउटलेट के जल नमूनों का विश्लेषण एन.ए.बी.एल. एक्रिडिटिड प्रयोगशाला से दिनांक 27.06.2024 में कराया गया था, जिसकी छायाप्रति प्रत्युत्तर के साथ संलग्न की गयी **(संलग्नक–9)**। उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के आउटलेट के जल नमूने की प्राप्त विश्लेषण आख्या के अनुसार समस्त प्रदूषित प्रचालकों का मान निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया गया।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उद्योग दिनांक 18.05.2024 से 26.06.2024 के मध्य कुल **40 दिवस** एवं दिनांक 18.11.2024 से 27.12.2024 तक कुल **40** दिवस उल्लंघनकारी श्रेणी में रहा है। अतः कुल उल्लंघनकारी दिवस **80** आगणित होते हैं।

उद्योग द्वारा प्रत्युत्तर दिनांक 28.09.2024 द्वारा यह भी सूचित किया गया कि दिनांक 10.06.2024 से 24.06.2024 तक ईद के त्यौहार, कच्चे माल की अनुपलब्धता एवं लेबर के छुट्टी पर जाने के कारण कुल 15 दिवसों में उद्योग संचालित नहीं किया गया है, जिस सम्बन्ध में उद्योग द्वारा एन्टीमार्टम एवं पोस्टमार्टम का विवरण उपलब्ध कराया गया है (संलग्नक–10)। इन 15 दिवसों को सम्मिलित किया जाना उचित नहीं है। अतः कुल उल्लंघनकारी दिवसों की संख्या 80–15 = **65 दिवस** आगणित होती है।

R = R is a factor in Rupees for Penalty – केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Environmental Compensation हेतु जारी गाइडलाइन्स के अनुसार R का मान न्यूनतम 100 एवं अधिकतम 500 है तथा औसत 250 का सुझाव दिया गया है। तदानुसार गणना शीट में R का मान 250 लिया जाना उचित होगा।

S = Factor for scale of operation = इकाई वृहद श्रेणी एवं लाल श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित होती है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Environmental Compensation हेतु जारी गाइडलाइन्स के अनुसार वृहद श्रेणी के उद्योगों हेतु S का मान 1.5 लिया जाना उचित होगा।

LF = Location factor = इकाई से निकटतम शहरों की जनसंख्या 10 लाख के अन्दर आती है। अतः LF का मान 1 लिया जाना उचित है।

क्रमशः ...5...

JE

(AEE)

उपरोक्तानुसार इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्न प्रकार है :—

EC = PIxNxRxSxLF

= 80 x 65 x 250 x 1.5 x 1

= 19,50,000/-

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत् उद्योग मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला शामली के विरूद्ध रूपये 19,50,000/— पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच16194/सी—3/जल 589/2024 दिनांक 27.08.2024 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33ए सपठित धारा 27(2) के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस को सशर्त निक्षेपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

उपरोक्तानुसार आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(राजा गुप्ता)
अवर अभियन्ता

(कुँवर संतोष कुमार)
सहा0पर्या0अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्याः H25675/सी–3/जल 589/मु०नगर/25 दिनांकः 12/03/2023

सेवा में, पंजीकृत

मैसर्स मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0,
कांधला रोड, कैराना,
जनपद–शामली।

विषयः– मै0 जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33ए सपठित धारा 27 (2) के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 27.08.2024 को सशर्त निस्तारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 16194/सी–3/जल–589/मु0नगर/2024 दिनांक 27.08.2024 जिसके द्वारा उद्योग के विरूद्व कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस के क्रम में उद्योग के प्रत्यावेदन के अनुसार ई0टी0पी0 स्टेब्लाईजेशन के दृष्टिगत नमूना एकत्रण हेतु 04 दिन का समय चाहा गया है। क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रेषित निरीक्षण आख्या एवं संस्तुति दिनांक 10.03.2025 पर विचारोपरान्त सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उद्योग पर दिनांक 18.05. 2024 से 26.06.2024 के मध्य 40 दिवस एवं दिनांक 18.11.2024 से 27.12.2024 तक 40 अर्थात कुल 80 उल्लंघनकारी दिवसों में से उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर दिनांक 28.09.2024 के दृष्टिगत दिनांक 10.06.2024 से 24.06.2024 तक ईंट के त्यौहार के कारण उद्योग संचालित न होने के दृष्टिगत 15 दिवस घटाते हुए कुल 65 उल्लंघनकारी दिवसों हेतु पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन मानते हुए रू0 30,000/–प्रतिदिन की दर से रू0 19,50,000/–(रू0 उनीस लाख पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के साथ उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 27. 08.2024 को निम्नलिखित शर्तो के साथ निस्तारित किया जाता हैः–

1. उद्योग द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 25/26 के अन्तर्गत निर्गत सहमति जल की समस्त शर्तो का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये एवं अनुपालन आख्या समयबद्ध रूप से बोर्ड को प्रेषित किया जाए।
2. उद्योग द्वारा पशुबधशाला के संबंध में जारी 24 कम्पोडियम बिन्दु का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या बोर्ड को प्रेषित किया जाये।
3. उद्योग द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में पशुबधशालाओं के संचालन से संबंधित दायर रिट याचिका सं0 (सिविल)/309/2003 लक्ष्मी नारायण मोदी बनाम यूनियन आफ इण्डिया में पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. प्रदेश में पशुबधशालाओं के संचालन के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के नगर विकास अनुभाग–8 के पत्र सं0 2303/9–8–2012–15(रिट)/2012 दिनांक 22.08.2012 तथा मुख्य सचिव, उ0सप्र0 शासन के पत्रांक 1645/9–8–2014–2 सीएस/12 दिनांक 30.06.2014 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
5. उद्योग द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 231/2014, ओ0ए0 सं0 66/2015 एवं ओ0ए0 अप्लीकेशन नं0 19/2018(एमए नं0 172/2018) में पारित आदेशों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित् किया जाए।
6. उद्योग में समुचित हाउसकिपिंग सुनिश्चित किया जाये। जिससे पब्लिक न्यूसेंस की समस्या उत्पन्न न हो।
7. उद्योग द्वारा निस्प्रयोज्य चर्बी, हड्डी एवं मांस का निस्तारण रेण्डरिंग प्लांट एवं स्लाटरिंग से जनित ब्लड का निस्तारण ब्लड मिल के माध्यम से किया जाये।
8. उद्योग में स्थापित बायोफिल्टर का रख रखाव एवं संचालन समुचित प्रकार से किया जाये। जिससे आस–पास किसी प्रकार की दुर्गन्ध की समस्या न हो।
9. उद्योग द्वारा सोधित उत्प्रवाह का निस्तारण किसी नदी, नाले, तालाब में न किया जाये तथा शुद्विकृत उत्प्रवाह का निस्तारण प्रत्येक दशा में स्वयं की भूमि पर सिंचाई हेतु प्रयुक्त किया जाये तथा उक्त के सबंध में एरीगेशन मैनेजमेन्ट प्लांट बोर्ड को प्रस्तुत किया जाये।

10. उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्विकरण संयंत्र का संचालन सुचारू रूप से इस प्रकार किया जाए कि शुद्विकृत उत्प्रवाह सदैव मानकों के अनुरूप रहे।
11. उद्योग द्वारा ई.टी.पी. के आउटलेट पर स्थापित ओ.सी.ई.एम.एस. को सी.पी.सी.बी. एवं राज्य बोर्ड के सर्वर से संयोजित कर अनवरत डाटा प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
12. उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्विकरण संयंत्र के माध्यम से निस्तारित शुद्विकृत उत्प्रवाह की राज्य बोर्ड की प्रयोगशाला से विश्लेषित कराकर विश्लेषण आख्या त्रैमासिक रूप से बोर्ड में जमा की जाए।
13. उद्योग द्वारा मा.एन.जी.टी., केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
14. उद्योग द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
15. उद्योग द्वारा बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रू0 उपरोक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रू0 19,50,000/–(रू0 उनीस लाख पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि तत्काल निम्नलिखित Payment Gateway एवं विवरण के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेः–
    Payment Gateway- https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB
    Nature of Pollution- Water Pollution
    EC imposed in compliance- UPPCB Order
16. उपरोक्त अधिरोापित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में दिनांक 27.08.2024 को जारी कारण बताओ नोंटिस पुनः स्वतः प्रभावी हो जाएगी।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालन आख्या समयबद्व रूप से बोर्ड को प्रेषित की जाए।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी, वृत्त–3

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 जिलाधिकारी, शामली।
2 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, शामली।
3 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (प्रशासन), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4 अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, विद्युत वितरण खण्ड, शामली।
5 अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, शामली।
6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये।

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी, वृत्त–3